



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

विविध प्रार्थना-पत्र संख्या:-21/2018

दायर दिनांक 16.01.2018

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
1. पूसाराम पुत्र नारायणराम, जाति-जाट, निवासी-बावड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. जिनकूदेवी पत्नी नारायणराम, जाति-जाट, निवासी-बावड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना-पत्र,

अन्तर्गत धारा- 111 L.R.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, प्रार्थी।

--: निर्णय ::-

दिनांक 23.04.2018

प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 21.01 बीघा वाकै शरहद बावड़ी में अवस्थित है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का भी खेत खसरा नम्बर 320/135 रकबा 05 बीघा वाकै शरहद बावड़ी में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के उपर्युक्त खेत एक ही जगह है जिनका कुल रकबा 26.01 बीघा है।

वादग्रस्त खेतों मौके पर माप-चौक नहीं हो रखा है। इनके पास से एक कटाणी रास्ता निकलता है जो खेत की सीव से गुजरता है एवं पड़ौसियों के साथ आये दिन सीमा विवाद होता रहता है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का नक्शे में एक ही खेत केवल खसरा नम्बर अलग-अलग हो रखे हैं। प्रतिवादी संख्या 01 वृद्ध होने से प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है उन्हें कोई रिलिफ नहीं चाहिए है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

विविध प्रार्थना-पत्र 21/2018
 दायर दिनांक 16.01.2018, निर्णय दिनांक 23.04.2018
 पूसारा म बनाम जिनकूदेवी, वगैरा।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 खेत के पत्थरगढी करवाना चाहते हैं एवं सीमा का वास्तविक ज्ञान चाहते हैं जिससे कटाणी रास्ते एवं अन्य पड़ोसियों से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो एवं भूमि की वास्तविक जानकारी हो, इस हेतु दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि-

शरहद बावड़ी में खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 21.01 बीघा व खसरा नम्बर 320/135 रकबा 05.00 बीघा की पत्थरगढी करवाकर सीमा ज्ञान करवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में, शपथ-पत्र, जमाबन्दी ग्राम बावड़ी सम्वत् 2069-2072 खेवट संख्या 109/106 व 58/106 की प्रतिलिपि, पेश है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर, पत्रावली को आज तारीख पेशी पर लेने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रकरण में किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नहीं हुई है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत की सीमा पर पत्थर गढी करवाना चाहता है। प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।


सहायक कलक्टर
 सीसवाना

विविध प्रार्थना-पत्र 21/2018
दायर दिनांक 16.01.2018, निर्णय दिनांक 23.04.2018
पूसाराम बनाम् जिनकूदेवी, वगैरा।


अतः बाद विवेचन, प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

आदेश 111 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हस्तगत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर, शरहद बावड़ी में खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 21.01 बीघा व खसरा नम्बर 320/135 रकबा 05.00 बीघा में पत्थर गढी करवाने की कार्यवाही करे।


(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-21-2018/रीडर/2018/ 505

दिनांक 21/5/18

प्रेषित:-

तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत।

प्रार्थना-पत्र,
अन्तर्गत धारा- 111 L.R.Act.

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. पूसाराम पुत्र नारायणराम, जाति-जाट, निवासी-बावड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जिनकूदेवी पत्नी नारायणराम, जाति-जाट, निवासी-बावड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना